

**-SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE, 1898**

In the court of श्रीमती अंकिता शाही, Magistrate न्यायिक

मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी Class देपालपुर, इन्दौर

Case No. 123 of 2020 Complaint or report made on.

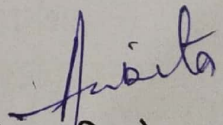
Name and address of the complaint म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र देपालपुर

Name, parentage, caste and address of accused

1. विजय पिता कनीराम, उम्र- 22 साल, निवासी- ग्राम खजराया, देपालपुर
2. मनीष पिता लखन पटेल, उम्र- 24साल, निवासी- ग्राम खजराया, देपालपुर
3. संतोष पिता कमल मेवाड़ा, उम्र- 20 साल, निवासी- ग्राम खजराया, देपालपुर

The offence complained of, and date of, its alleged commission

यह कि आप दिनांक 06.02.20 को 16:05 बजे के लगभग स्थान शांतिविहार कॉलोनी मैदान के पास, देपालपुर जिला इंदौर पर ताश के पत्तों से रुपये पैसों की हार जीत का जुआ खेलते हुए पाये गये । ऐसा करके आपने सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया ।


न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
देपालपुर इन्दौर म0प्र0

The plea of the accused and his examination (if any)-

हाँ, मुझे अपराध स्वीकार है कि मैंने ताश के पत्तों से रुपये पैसों की हार जीत का जुआ खेला ।

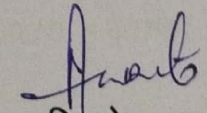
हमे अपराध स्वीकार है।

मनीष

मनीष



निम्न लिखित


न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
देपालपुर इन्दौर म0प्र0

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) Clause (e) Clause (f) pt clause (g), of Sub- section (I) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(दिनांक 04.03.2020 को घोषित)

1. अभियुक्त/गण पर सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 13 अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप है।
2. अभियुक्त/गण को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।
3. अभिलेख के अवलोकन से भी अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध करना प्रकट होता है।
4. तदनुसार अपराध की स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त/गण को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाकर उसे रुपये 100-100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
5. अर्थदण्ड जमा न करने पर अभियुक्त/गण को 15 दिवस का साधारण कारवास भुगताया जावे।
6. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति ताश के पत्ते मूल्यहीन होने से नष्ट की जाये। जप्तशुदा **रुपये 2155 रुपए** राजसात कर विधिवत शासकीय कोषालय में जमा किये जावें।

देपालपुर, इन्दौर म0प्र0
दिनांक- 04.03.2020

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
इन्दौर म0प्र0